32

संख्या– 555 /XV-2/01(09)/2006(डेरी)

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखंड ।

पशुपालन अनुभाग– 02 **देहरादून, दिनांक** 01 जून , 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (सामान्य) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30–03–2012 के कम में एवं आपके पत्र संख्या 305–06/लेखा–प्रस्ताव आयो0 सामान्य/2012–13, दिनांक 14–05–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (सामान्य) योजना हेतु जनपदों को लेखानुदान के माध्यम से ₹ 83.33 लाख (₹ तिरासी लाख तैतींस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(₹ लाख में)

क0स0	नाम जनपद	धनराशि
1.	नैनीताल	7.32
2.	ऊधमसिंहनगर	12.78
3.	अल्मोड़ा	7.41
4.	पिथौरागढ़	9.02
5.	बागेश्वर	0.81
6.	चम्पावत	11.62
7.	देहरादून	5.40
8.	पौड़ी	2.68
9.	टिहरी	7.08
10.	चमोली	10.12
11.	उत्तरकाशी	5.93
12.	रूद्रप्रयाग	1.35
13.	हरिद्वार	1.81
	योग :–	**83.33**

1. उक्त जनपदवार निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।

2 बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखत नियमों, कय सबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नही रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक माँग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यो पर तथा 20 प्रतिशत नये निर्माण कार्यो पर व्यय की जाये।

7 किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

9. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेखानुदान के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनागत-191-सहकारी समितियॉ तथा अन्य निकायों को सहायता-91-ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31-3-2011 द्वारा निर्गत निर्देशो के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्या : 555/XV-2/01(09)2006(डेरी) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव-मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।